

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

सिविल रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 11678/2023

=====

मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका पंजीकृत कार्यालय बाबू बाजार आरा भोजपुर में है इसके हस्ताक्षर प्राधिकारी श्री चंदन कुमार उम्र लगभग 35 वर्ष लिंग पुरुष पुत्र- श्री अशोक कुमार निवासी गांव और पोस्ट परेओ थाना- बिहटा जिला पटना 802160 के माध्यम से।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य मुख्य सचिव बिहार सरकारए पुराना सचिवालय भवन पटना के माध्यम से।
2. अपर मुख्य सचिव सह आयुक्त खान एवं भूतत्व विभाग बिहार सरकार विकास भवन बेली रोड, पटना।
3. जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा।
4. खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा।

..... प्रतिवादीगण/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता

श्री जय वर्धन नारायण, अधिवक्ता

खान विभाग के लिए : श्री नरेश दीक्षित, विशेष लोक अभियोजक खान

राज्य के लिए : श्री ज्ञान प्रकाश ओझा (सरकारी अधिवक्ता-7)

=====

भारत का संविधान---अनुच्छेद 19(1)(जी), 19(6), 48ए, 51ए(एफ), 51ए(जी)--- बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019-नियम 28---भारतीय संविदा अधिनियम, 1872---धारा 74---खान एवं खनिज संविदा---खनन गतिविधि का पर्यावरणीय प्रभाव आकलन---याचिकाकर्ता ने पत्थर ब्लॉक के बंदोबस्त के लिए बोली प्रक्रिया में भाग लिया और उसे उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया और एलओआई जारी किया गया, खनन योजना को मंजूरी दी गई और याचिकाकर्ता को खनन पट्टे के निष्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी के साथ-साथ अन्य दस्तावेज और जमा राशि प्रस्तुत करना आवश्यक था---याचिकाकर्ता के पक्ष में दी गई बंदोबस्ती देरी के आधार पर रद्द कर दी गई और कहा गया कि 05 वर्ष और 03 महीने बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता पर्यावरण प्रभाव आकलन प्रदान करने में विफल रहे तथा 2,90,00,000/- रुपये सुरक्षा जमा राशि जब्त कर लिया गया तथा अपील पर आदेश की पुष्टि की गयी---अतः वर्तमान रिट--- याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् खान विभाग की ओर से प्रस्तावित खनन स्थल के भू-निर्देशांक उपलब्ध कराने में विफलता के कारण, याचिकाकर्ता द्वारा राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) से आवश्यक समय में पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि एसईआईएए भू-निर्देशांक निर्दिष्ट किए बिना पर्यावरण मंजूरी जारी नहीं कर सकता था---प्रतिवादियों ने यह प्रस्तुत करते हुए प्रतिवाद किया कि चूंकि याचिकाकर्ता अपने पक्ष में सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से लगभग 05 वर्ष और 03 महीने बीत जाने के बाद भी 'पर्यावरण मंजूरी' प्रस्तुत करने में विफल रहा है, इसलिए 'प्रमुख अनुमोदन' को रद्द करना और सुरक्षा जमा को जब्त करना उचित है।

निर्णय: याचिकाकर्ता की ओर से देरी और लापरवाही के बावजूद, प्रतिवादियों ने भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में संबंधित स्टोन ब्लॉक के भू-निर्देशांक जारी न करके गलती की, जिससे पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी की अवधि भी बढ़ गई --- भू-निर्देशांक सटीक स्थानिक जानकारी प्रदान करके खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जो पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने, संचालन की योजना बनाने, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है --- खनन विभाग या खनन गतिविधि से निपटने वाले विभाग द्वारा नीलामी / ई-नीलामी / खनन पट्टे के अनुदान से पहले डीएसआर तैयार किया जाना आवश्यक है--- पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को विभाग द्वारा डीएसआर में भू-समन्वय

विवरण की कमी के कारण लंबित रखा गया है --- खनन पट्टे के लिए अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया और 2,90,00,000/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि जब्त नहीं की जा सकती, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं होने के बावजूद लेनदेन विफल हो गया --- विवादित आदेश को अलग रखा गया और रद्द कर दिया गया --- सक्षम प्राधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट को डीएसआर को अंतिम रूप देने और उसके बाद समय बढ़ाने और कार्य आदेश जारी करने और आदेश की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पट्टे के अनुबंध के अंतिम निपटान का निर्देश दिया गया --- रिट याचिका का निपटारा किया गया। (पैरा 14, 22, 23, 28, 31, 32, 38, 48-50)

(2006) 11 एससीसी 582, (2008) 2 एससीसी 222, (2012) 4 एससीसी 629, (2021) 9 एससीसी 166, (1997) 3 एससीसी 398, (1997) 7 एससीसी 251, (1998) 1 एससीसी 572, (1996) 10 एससीसी 405, (2003) 5 एससीसी 413, (2022) 2 एससीसी 201, (2007) 1 एससीसी 228 भरोसा किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरनेन्दू सिंह

सी.ए.वी. निर्णय

तिथि: 02-05-2024

आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता जय वर्द्धन नारायण के साथ श्री सूरज समर्दी, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता मिस्टर ज्ञान प्रकाश ओझा, सरकारी अधिवक्ता-7 और खान विभाग की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री नरेश दीक्षित को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने रिट याचिका के पैराग्राफ संख्या 1 में निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:

"1. खान आयुक्त, खान और भूतत्व विभाग, बिहार द्वारा अपील संख्या 01/2023 में पारित दिनांक 14.07.2023 के आदेश को दरकिनार करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में निर्देश, आदेश या रिट जारी करना, जिसके तहत कलेक्टर, शेखपुरा द्वारा पारित दिनांक 23.01.2023 के आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया और कलेक्टर, शेखपुरा द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा गया, जिसमें मौजा हजरतपुर मंडरो चांदी, थाना शेखपुरा, जिला-शेखपुरा में स्थित पत्थर ब्लॉक संख्या 27 के लिए आशय पत्र (एलओआई) के संबंध में प्रमुख अनुमोदन को बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन, परिवहन एवं संसाधन की रोकथाम) नियम, 2019 के नियम 28 की भावना के विरुद्ध अत्यंत मनमाने तरीके से रद्द कर दिया गया। इस तथ्य को स्वीकार किए बिना कि याचिकाकर्ता ने पर्यावरणीय मंजूरी देने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए औपचारिक पट्टे के निष्पादन में देरी के लिए जिम्मेदार नहीं हैं और 2,90,00,000 (दो करोड़ नब्बे लाख) रुपये की सुरक्षा जमा भी जब्त करने का आदेश दिया गया है और

कलेक्टर, शेखपुरा को वर्तमान लागू नियमों और विनियमों के अनुसार मौजा हजरतपुर मंडरो चांदी, थाना शेखपुरा, जिला-शेखपुरा में स्थित स्टोन ब्लॉक नंबर 27 की फिर से नीलामी के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।

II. प्रतिवादियों को निर्देश देने के लिए परमादेश की प्रकृति में निर्देश, आदेश या रिट जारी करना कि वे मौजा हजरतपुर मंडरो चांदी, थाना शेखपुरा, जिला शेखपुरा में स्थित स्टोन ब्लॉक संख्या 27 के लिए आशय पत्र (एलओआई) के संबंध में प्रमुख अनुमोदन को रद्द करके याचिकाकर्ता फर्म के ब्लॉक स्टोन के बंदोबस्त को रद्द न करें और याचिकाकर्ता को पर्यावरण मंजूरी, किशतों का भुगतान और अन्य भुगतान और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने की अनुमति दें ताकि याचिकाकर्ता और प्रतिवादी के बीच कानून के अनुसार फार्म बी निष्पादित किया जा सके।

III. कोई अन्य राहत या राहतें जिसके लिए याचिकाकर्ता हकदार समझा जाए।”

संक्षिप्त तथ्य

3. याचिकाकर्ता सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत पंजीकृत एक स्वामित्व फर्म है, (जिसका पंजीकरण संख्या यू.डी.वाई.ए.एम-बीआर-08-0002321 है) और यह मेसर्स बालाजी एंटरप्राइजेज के नाम से चल रही है।

4. निविदा आमंत्रण सूचना (एन.आई.टी) के अनुसार 9 स्टोन ब्लॉकों के बंदोबस्त के लिए जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा के मुहर और हस्ताक्षर के तहत जारी किए गए, याचिकाकर्ता ने 18.03.2017 को आयोजित नीलामी कार्यवाही में भाग लिया था, जिसमें उन्हें जिला शेखपुरा में खाता संख्या 296 और प्लॉट संख्या 2068 (पी) क्षेत्र 12.50 एकड़ से संबंधित मौजा हजरतपुर, मंडरो चंडी में स्थित स्टोन ब्लॉक नंबर 27 के लिए 29 करोड़ रुपये की उच्चतम बोली लगाकर सर्वोच्च बोलीदाता घोषित किया गया था।

5. जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 21.09.2017 को पत्र संख्या 783 के माध्यम से आशय पत्र (एल.ओ.आई) जारी किया गया था। आशय पत्र (एल.ओ.आई) की शर्तों के अनुसार, स्टोन ब्लॉक को पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से 5 वर्षों के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में निपटाया गया था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता को बोली राशि का 10% सुरक्षा जमा के रूप में भुगतान करना था, एल.ओ.आई की तिथि से 120 दिनों के भीतर फार्म बी जमा करना था, खनन योजना, पर्यावरण मंजूरी और एल.ओ.आई (अनुलग्नक-पी2) के अनुसार अन्य भुगतान करना था। हालांकि, डीएसआर जमा न करने के कारण पर्यावरण मंजूरी नहीं दी जा सकी।

6. याचिकाकर्ता का यह विशिष्ट मामला है कि जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा ने मेमो संख्या 73 दिनांक 23.01.2023 में निहित आदेश पारित किया गया है, जिसमें “प्रधान स्वीकृति” को रद्द करते हुए जिला शेखपुरा में खाता संख्या 296 प्लॉट संख्या 2068 (पी) 12.50 एकड़ क्षेत्रफल से संबंधित मौजा हजरतपुर, मंडरो चांदी में स्थित स्टोन ब्लॉक संख्या 27 के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में अनुमोदन प्रदान किया गया और 2,90,00,000/- रुपये की बयाना राशि जब्त करने का निर्देश दिया गया (अनुलग्नक- पी 23)। इसे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से पांच साल और 3 महीने की देरी हुई है।

7. जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा के दिनांक 23.01.2023 के आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने खान आयुक्त, बिहार के समक्ष वैधानिक अपील दायर की और अपील संख्या 01/2022 में पारित दिनांक 14.07.2023 के आदेश के अनुसार खान आयुक्त ने दायर अपील को खारिज कर दिया और डीएम, शेखपुरा को स्टोन ब्लॉक की पुनः नीलामी की व्यवस्था करने का निर्देश जारी किया। (अनुलग्नक- पी24)

प्रविष्टियाँ

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि 21.09.2017 को आशय पत्र जारी किया गया था। याचिकाकर्ता ने पत्र दिनांक 10.08.2018 (अनुलग्नक- पी4) के माध्यम से खाता संख्या 296 और प्लॉट संख्या 2068 (पी) क्षेत्र 12.50 एकड़ से संबंधित मौजा हजरतपुर, मंडरो, चांदी, जिला शेखपुरा में स्थित विवादित स्टोन ब्लॉक संख्या 27 के निरीक्षण के लिए खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा से अंचल अधिकारी, अरियारी ने अनुरोध किया था और छह मुद्दों पर रिपोर्ट मांगी गई, जिनका उत्तर दिया जाना और जाँच की जानी थी।

i. क्या आवेदित क्षेत्र सरकार के राजस्व अभिलेखों में प्रकार और खाता के कॉलम में क्रमशः *पहाड़ और गैर मजरूआ* के रूप में दर्ज है?

ii. क्या आवेदन किया गया क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में आता है या नहीं?

iii. क्या आवेदित क्षेत्र वन भूमि है या नहीं?

iv. क्या कोई नदी, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल लागू क्षेत्र के 500 मीटर के अंदर मौजूद है?

v. क्या आवेदित क्षेत्र के 500 मीटर के भीतर राष्ट्रीय महत्व की कोई पुरातात्विक संरचना मौजूद है?

vi. लागू क्षेत्र का क्षेत्रफल और प्रकार?

9. याचिकाकर्ता द्वारा विभाग को पत्र दिनांक 22.09.2018 एवं 17.07.2019 के माध्यम से अनुस्मारक आवेदन भी भेजे गए। (अनुलग्नक- पी 4)

10. यह भी बताया गया है कि दिनांक 11.08.2018 के पत्र के माध्यम से प्रभागीय वनाधिकारी, जमुई से राष्ट्रीय उद्यान, वन भूमि और वन्य जीव अभ्यारण्य के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जो कि पर्यावरणीय

मंजूरी के लिए आवश्यक है, और पत्र संख्या 1285 दिनांक 14.08.2018 के जवाब में, प्रभागीय वन अधिकारी, जमुई ने सूचित किया था कि शेखपुरा जिले में कोई वन्य जीवन नहीं है और निकटतम वन्य जीवन अभयारण्य मुंगेर वन प्रभाग, मुंगेर के अधिकार क्षेत्र में स्थित भीम बांध में स्थित है और प्रासंगिक जानकारी मुंगेर वन प्रभाग (अनुलग्नक-पी 6) से मांगी जा सकती है। एल.ओ.आई की तारीख से 12 महीने बीत जाने के बाद, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार (रिट याचिका के अनुलग्नक-पी3) द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में खनन योजना को पत्र संख्या 3695 दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से मंजूरी दी गई थी। याचिकाकर्ता ने खनिज विकास अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा को संबोधित पत्र दिनांक 26.12.2019 और 27.12.2019 के माध्यम से 500 मीटर के दायरे की निकासी प्रदान करने के संबंध में पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र और सर्कल अधिकारी, अरियरी से निरीक्षण प्रमाण पत्र देने का अनुरोध किया था (रिट याचिका के अनुलग्नक-पी7)।

11. यह भी सूचित किया गया है कि याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित खनन ब्लॉक संख्या 27 के लिए सदस्य सचिव, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईए), बिहार के समक्ष संदर्भ की शर्तों (टी.ओ.आर) के अनुमोदन के लिए दिनांक 28.01.2020 को एक आवेदन प्रस्तुत किया था, साथ ही फॉर्म 1, सिद्धांत व्यवहार्यता रिपोर्ट (पी.ओ.आर), बी1 श्रेणी के तहत पत्थर खनन के लिए प्रस्तावित टी.ओ.आर और निर्धारित प्रारूप में अन्य आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए थे। याचिकाकर्ता ने दिनांक 29.01.2020 के पत्र के माध्यम से खनिज विकास अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा को एसईआईए, बिहार को पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के बारे में सूचित किया। (अनुलग्नक-पी9) इसके बाद याचिकाकर्ता ने एक बार फिर खनिज विकास पदाधिकारी, जिला खनन पदाधिकारी,

शेखपुरा को 500 मीटर की परिधि का पत्र दिनांक 31.01.2020 उपलब्ध कराने का अनुरोध किया और उसी पत्र में याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि अंचल अधिकारी (सी.ओ) का पत्र पत्रांक-82 दिनांक 24.01.2020 (रिट याचिका का अनुलग्नक-पी10) उन्हें प्राप्त हुआ है।

12. याचिकाकर्ता ने पुनः दिनांक 28.02.2020 को एक पत्र के माध्यम से बिहार के एसईआईएए के सदस्य सचिव को स्वीकृत खनन योजना में त्रुटि के मद्देनजर टी.ओ.आर में संशोधन और इसके सुधार के लिए याद दिलाया। याचिकाकर्ता ने मार्च से मई 2020 तक बेसलाइन डेटा मॉनिटरिंग शुरू करने की अनुमति देने का भी अनुरोध किया (रिट याचिका के अनुलग्नक- पी 11)। खनिज विकास अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा से क्लस्टर प्रमाण पत्र (500 मीटर की परिधि का प्रमाण पत्र) प्राप्त करने के संबंध में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 07.03.2020 को एक और पत्र लिखा था (रिट याचिका के अनुलग्नक- पी 12)।

13. विद्वान अधिवक्ता ने आगे बताया कि याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव से जन सुनवाई आयोजित करने का अनुरोध किया था और जन सुनवाई के लिए शुल्क के रूप में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में अपेक्षित राशि जमा कर दी थी। जन सुनवाई 24.04.2021 को निर्धारित की गई थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 17.12.2021 तक के लिए टाल दिया गया। इसके बाद, 17.12.2021 को जन सुनवाई हुई और कई सुझाव दिए गए। याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.06.2022 को पत्र के माध्यम से खनिज विकास अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा को जन सुनवाई के बारे में सूचित किया था और इसमें यह भी उल्लेख किया था कि पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर) की आवश्यकता थी और उसे जारी नहीं किया गया था। विद्वान

अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इसके बजाय, खनिज विकास अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा पत्र संख्या 733 दिनांक 06.07.2022 के माध्यम से एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी के लिए याचिकाकर्ता से स्पष्टीकरण मांगा गया था और आवश्यक कारवाई न करने के परिणामस्वरूप एलओआई को रद्द करने और सुरक्षा जमा राशि जब्त करने की चेतावनी दी गई थी (अनुलग्नक- पी17)। इस कारण बताओ नोटिस का जवाब याचिकाकर्ता द्वारा 01.08.2022 को दाखिल किया गया था (अनुलग्नक - पी18)। इसके बाद, याचिकाकर्ता को खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा द्वारा जारी पत्र संख्या 954 दिनांक 11.08.2022 का एक और कारण बताओ प्राप्त हुआ, जिसमें याचिकाकर्ता को एक सप्ताह के भीतर अपना जबाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया, जिसमें कारण बताए गए कि क्यों न एल.ओ.आई को रद्द कर दिया जाए और पर्यावरण मंजूरी की किस्त राशि और अन्य राशियों के साथ-साथ दस्तावेज और फार्म बी जमा करने में विफल रहने के बदले में सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाए (अनुलग्नक-पी19)। जवाब में, याचिकाकर्ता ने 22.08.2022 को कारण बताओ पर अपना जवाब दाखिल किया था अनुलग्नक-पी20)। इसके बाद, जिला मजिस्ट्रेट ने पत्र संख्या 1068 दिनांक 01.09.2022 के माध्यम से याचिकाकर्ता को फिर से अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, कि क्यों, याचिकाकर्ता के पक्ष में दी गई "सैद्धांतिक स्वीकृति" को रद्द किया जाए और जहां तक पर्यावरण मंजूरी प्रस्तुत करने का संबंध है, विभाग के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए बयाना राशि जब्त की जाए (अनुलग्नक-पी21)।

14. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान, पटना द्वारा तैयार शेखपुरा स्टोन मिनरल का डीएसआर, जिसे अवर सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, बिहार सरकार को सौंपा गया

है, मैं जिले के एल.ओ.आई धारकों की सूची के साथ-साथ उसकी वैद्यता का विवरण है। याचिकाकर्ता के एल.ओ.आई का विवरण आंतरिक पेज संख्या 17 पर क्रम संख्या 17 पर सूचीबद्ध है, लेकिन खनन पट्टे के स्थान (अर्थात् अक्षांश और देशांतर) के बारे में विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है और इस तरह याचिकाकर्ता के स्टोन ब्लॉक नंबर 17 के लिए डीएसआर अधूरा रह गया जैसा कि प्रस्तावित खनन स्थल के भू-निर्देशांक प्रदान किए बिना प्रकाशित की जा रही रिट याचिका के अनुलग्नक-पी25 से प्रतीत होता है। उक्त विसंगति के कारण याचिकाकर्ता द्वारा समय पर एसईआईए से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त नहीं की जा सकी और परिणामस्वरूप एसईआईए भू-निर्देशांक निर्दिष्ट किए बिना पर्यावरणीय मंजूरी जारी नहीं कर सका। विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि आरोपित आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है कि क्यों प्रतिवादी ने डी.एस.आर में भू-निर्देशांक का विवरण खाली छोड़ दिया और प्रस्तुत किया कि केवल इसी आधार पर एसईआईए ने याचिकाकर्ता को पर्यावरणीय मंजूरी नहीं दी है।

प्रतिवादी के तर्क

15. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवाद में प्रस्तुत किया कि विभाग द्वारा पत्र संख्या 3695 दिनांक 13.09.2018 के तहत जारी खनन योजना के अनुसार, खंड 04 के तहत याचिकाकर्ता को खनन पट्टे के लिए “पर्यावरण मंजूरी” के साथ-साथ, अन्य दस्तावेज और निष्पादन के लिए अपेक्षित जमा राशि प्रस्तुत करना आवश्यक था। चूंकि याचिकाकर्ता के पक्ष में सैद्धांतिक मंजूरी की तारीख से लगभग 05 वर्ष और 03 महीने बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता ऐसा करने में विफल रहा, इसलिए 'सैद्धांतिक मंजूरी' को रद्द करना और सुरक्षा जमा को जब्त करना उचित है।

16. उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने खनन योजना की मंजूरी की तारीख, यानी 13.09.2018 से एक वर्ष से अधिक समय लिया, जब उन्होंने खनन विकास अधिकारी, शेखपुरा के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया था, इस तथ्य के बावजूद कि 500 मीटर के गोलाकार क्षेत्र के लिए खनन स्थल के लिए संबंधित सर्कल अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए और याचिकाकर्ता को आवेदन जमा करने के 28 दिनों के भीतर 25.01.2019 को रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई थी। याचिकाकर्ता ने 28.01.2020 को राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन समिति (एसईआईएए) के समक्ष और 29.01.202 को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया, और यह याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर देरी और लापरवाही को दर्शाता है। कलेक्टर, शेखपुरा द्वारा पत्र संख्या 1068 दिनांक 01.09.2022 के तहत जारी कारण बताओ के जवाब में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाया गया। इसके समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बिहार लघु खनिज नियमावली, 1972 के नियम 25(1) के प्रावधान के अनुसार खनन पट्टा निर्धारित समय सीमा स्वीकृति की तिथि से 120 दिनों के भीतर निष्पादित किया जाना आवश्यक है और बिहार लघु खनिज (रियायत, अवैध खनन और भंडारण) नियम, 2019 के नियम 28 के अनुसार इसे 120 दिनों से 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। निविदा दस्तावेजों के खंड 06 के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की जिम्मेदारी बंदोबस्तकर्ता/नीलामीकर्ता पर है। इन आधारों पर विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता एलओआई और “सिद्धांत रूप में स्वीकृति आदेश” की शर्तों और नियमों का पालन करने में विफल रहा है। हालांकि विद्वान विशेष लोक अभियोजक खान इस बात से इन्कार नहीं करते हैं कि ब्लॉक नंबर 27 से

संबंधित डीएसआर में भू-निर्देशांक शामिल नहीं हैं, जो पर्यावरणीय मंजूरी जारी करने के लिए महत्वपूर्ण है।

विश्लेषण

17. पक्षकारों को सुना गया।

18. आजकल, अंधाधुंध खनन कार्यों के कारण पारिस्थितिक असंतुलन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली पर्यावरणीय क्षति चिंताजनक हो गई है।

19. **एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य में, (2006) 11 एससीसी 582** में सर्वोच्च न्यायालय ने निगरानी समिति को निर्देश दिया कि वह संबंधित क्षेत्र में चल रही खनन गतिविधि का निरीक्षण करें और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए अपनाए गए सुरक्षा उपायों, यदि कोई हो, की रिपोर्ट दें और पर्यावरण के क्षरण पर खनन गतिविधि के प्रभाव के मुद्दे पर प्रासंगिक कोई अन्य सुझाव।

20. **टी.एन.गोदावर्मन थिरुमुलपाद (104) बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2008) 2 एससीसी 222** में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि सतत विकास के सिद्धांत का पालन करना अब एक संवैधानिक आवश्यकता है। न्यायालयों को विकास की आवश्यकताओं को पर्यावरण और पारिस्थितिकी की सुरक्षा के साथ संतुलित करना आवश्यक है। संविधान के तहत राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अंतर-पीढ़ीगत समानता के आधार पर सतत विकास के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए एक सुसंगत और समन्वित कार्यक्रम तैयार करे और उसे लागू करे।

21. मेरी राय में, आम जनता के हित में उचित प्रतिबंध लगाना और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत निहित अधिकारों के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(6) के मददेनजर अजेय है। कोई भी विकास टिकाउ होना चाहिए। खनन कार्य करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार अनुच्छेद 48ए के तहत निर्देशों और अनुच्छेद 51ए(एफ) और 51ए(जी) के तहत निहित मौलिक कर्तव्यों के अधीन हैं जो सर्वोच्च भी हैं और अनुच्छेद 19(1)(जी) के तहत अधिकारों की आड़ में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है।

22. यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता ने बोली प्रक्रिया में भाग लिया था और 18.03.2017 को उन्हें उच्चतम बोलीदाता घोषित किया गया, और पत्र संख्या 783 दिनांक 21.09.2017 के तहत एलओआई जारी किया गया। खनन योजना को अवर सचिव, खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार द्वारा पत्र संख्या 3695 दिनांक 13.09.2018 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और खंड 04 के अनुसार, याचिकाकर्ता को खनन पट्टे के निष्पादन के लिए पर्यावरण मंजूरी के साथ-साथ अन्य दस्तावेज और जमा राशि प्रस्तुत करना आवश्यक था।

23. याचिकाकर्ता ने 09.09.2022 को जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा के समक्ष अपना विस्तृत प्रतिनिधित्व दायर किया था, जिन्होंने प्रतिनिधित्व को असंतोषजनक पाया और मेमो संख्या 73 दिनांक 23.01.2023 (रिट याचिका के अनुलग्नक-पी 23) में निहित आदेश पारित किया, जिसमें सुरक्षा जमा को जब्त करने और फिर से नीलामी के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया गया था, और इसकी पुष्टि खान आयुक्त, बिहार ने अपील संख्या 01/2022 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2023 द्वारा की, जिसके द्वारा 2,90,00,000/-रूपये की बयाना राशि जब्त कर ली गई और देरी के आधार पर याचिकाकर्ता के पक्ष में दिए गए बंदोबस्त को रद्द कर दिया गया

और कहा गया कि 05 वर्ष और 03 महीने बीत जाने के बाद भी याचिकाकर्ता पर्यावरण मंजूरी और किस्त की राशि और अन्य राशि, साथ ही आवश्यक दस्तावेज फार्म-बी का निष्पादन पेश करने में विफल रहा, जो 2019 नियमों के नियम 28 का उल्लंघन है।

24. भू-निर्देशांक का उल्लेख न करने के विषय में आदेश में कोई चर्चा नहीं है। खान आयुक्त, बिहार ने अपने आदेश दिनांक 14.07.2023 में कंडिका संख्या 11 में पाया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 3661-3662/2020 दिनांक 10.11.2021 में पारित आदेश के आलोक में अनुमंडल स्तरीय समिति द्वारा डीएसआर तैयार किया जाना है, जिसकी समीक्षा राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) द्वारा की जाएगी तथा अनुमोदन के पश्चात् राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (एसईआईएए) द्वारा कारवाई की जानी है। अपीलकर्ता की इच्छानुसार डीएसआर को पुनः तैयार करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करना होगा, जिसमें लगभग 6 से 12 माह का समय लग सकता है। और यदि अपीलकर्ता को अधिक समय दिया भी जाता है, तो वह वास्तविक खनन कार्य पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि वह लगभग एक वर्ष के बाद ही शुरू कर पाएगा। पाराग्राफ 12 में कहा गया है कि सार्वजनिक नीलामी अर्थात् 18.03.2017 को आयोजित किए जाने के समय से अब तक साढ़े छह वर्ष बीत चुके हैं। इतने लंबे समय के बाद पत्थर खनिजों की मांग और आपूर्ति तथा संबंधित बाजार मापदंडों में परिवर्तन हुए हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में साढ़े छह साल की देरी के बाद उच्चतम बोली लगानेवाले अपीलकर्ता को इस आधार पर और समय दिया जाना राजस्व की दृष्टि से उचित नहीं होगा। आयुक्त ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर) तैयार करने की प्रक्रिया से निपटा हैं, लेकिन उन्होंने इस तथ्य की सराहना नहीं की है कि यह विभाग ही है, जिसने डीएसआर में भू-निर्देशांक का विवरण प्रदान करने में चूक की है, जो पर्यावरण मंजूरी जारी करने के

लिए प्रासंगिक है। जवाबी हलफनामे में, पत्थर की खदानों के बंदोबस्त से इन्कार करने का आधार यह है कि निविदा दस्तावेजों के खंड 06 के अनुसार, पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की जिम्मेदारी याचिकाकर्ता की है।

25. जवाबी हलफनामे में इस बात से इन्कार नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने खनन योजना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित अपेक्षित दस्तावेज पहले ही जमा कर दिए थे। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जन सुनवाई भी की गई थी और सुझावों को स्वीकार किया गया था और साइट के कामकाज में सुधार के लिए शामिल किया गया था। यह स्वीकार किया जाता है कि प्रभागीय वन अधिकारी, जमुई ने पत्र संख्या 1285 दिनांक 14.08.2018 (रिट याचिका के अनुलग्नक पी5) के माध्यम से सूचित किया था कि शेखपुरा जिले में कोई वन्य जीव नहीं है और निकटतम वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर वन प्रभाग, मुंगेर के अधिकार क्षेत्र में स्थित भीम बांध में स्थित है और प्रासंगिक जानकारी मुंगेर वन प्रमंडल द्वारा दी जानी थी (अनुलग्नक पी6)। याचिकाकर्ता ने खनिज विकास अधिकारी, शेखपुरा से 500 मीटर की परिधि का क्लस्टर प्रमाण पत्र (डीएमओ पत्र) और अंचल अधिकारी, अरियरी (सीओ पत्र) से निरीक्षण प्रमाण पत्र देने के लिए बार-बार अनुरोध किया था, जो उनके दिनांक 10.08.2018, 22.09.2018, 17.07.2019, 26.12.2019, 27.12.2019, 29.01.2020, 31.01.2020 और 07.03.2020 के पत्रों से स्पष्ट है।

26. डीएसआर तैयार करने का मुख्य उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां पर खनन की अनुमति दी जा सकती है, जहां पर कटाव या जमाव है, जहां पर खनन की अनुमति दी जा सकती है, साथ ही उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां पर अवसंरचनात्मक संरचनाओं और प्रतिष्ठानों के समीप कटाव है, जहां पर खनन प्रतिबंधित होना चाहिए, तथा वार्षिक पुनःपूर्ति दर की गणना करना और उस क्षेत्र में

खनन के बाद पुनःपूर्ति के लिए समय देना है। निविदा दस्तावेजों के खंड 06 के अनुसार पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने की जिम्मेदारी बंदोबस्तकर्ता/नीलामीकर्ता की है। याचिकाकर्ता द्वारा बयाना राशि और सुरक्षा जमा राशि जमा कर दी गई है। पर्यावरण मंजूरी जारी करने के लिए डी.एस.आर आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान, पटना द्वारा तैयार शेखपुरा स्टोन मिनरल का डी.एस.आर, जिसे अवर सचिव, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार को प्रस्तुत किया गया था, में खनन पट्टे के स्थान (अर्थात् अक्षांश और देशांतर) के बारे में विवरण नहीं है और इस प्रकार याचिकाकर्ता के स्टोन ब्लॉक नंबर 27, मौजा हजरतपुर, मंडरा, चंडी में स्थित के लिए डी.एस.आर अधूरा है (अनुलग्नक- पी 25)। याचिकाकर्ता का आरोप है कि संबंधित अधिकारियों यानी खान विभाग की ओर से प्रस्तावित खनन स्थल के भू-निर्देशांक प्रदान करने में विफलता के कारण याचिकाकर्ता द्वारा आवश्यक समय में एसईआईए से पर्यावरण मंजूरी प्राप्त नहीं की जा सकी, क्योंकि एसईआईए भू-निर्देशांक निर्दिष्ट किए बिना पर्यावरण मंजूरी जारी नहीं कर सकता था।

पर्यावरणीय मंजूरी जारी करने के लिए
डीएसआर में भू-समन्वय का महत्व

27. कई कारणों से खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में भू-निर्देशांक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भू-निर्देशांक सीटर स्थान डेटा प्रदान करते हैं, जो संभावित खनन स्थलों की पहचान करने में सहायता करते हैं। यह प्रस्तावित खनन गतिविधि के पर्यावरणीय प्रभाव का सटीक आकलन करने में मदद करता है। भू-निर्देशांक खनन क्षेत्र और उसके आस-पास के पर्यावरण के बारे में सटीक स्थानिक जानकारी प्रदान करके व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ई.आइ.एस)

करने में मदद करते हैं। इसमें संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, जल निकाय, लुप्तप्राय प्रजातियों के आवासों और अन्य पर्यावरणीय विशेषताओं की पहचान करना शामिल है जो खनन गतिविधियों से प्रभावित हो सकती हैं। भू-निर्देशांक किसी भी संचालन के शुरू होने से पहले प्रस्तावित खनन स्थल की पर्यावरणीय स्थितियों के बारे में आधारभूत डेटा स्थापित करने में मदद करते हैं। यह डेटा समय के साथ पर्यावरणीय मापदंडों में परिवर्तनों की निगरानी और आकलन करने के लिए आवश्यक है। यह खनन संचालन की विस्तृत मैपिंग और योजना बनाने में भी मदद करता है जिससे खनन सीमाओं, निष्कर्षण क्षेत्रों, अपशिष्ट निपटान क्षेत्रों और बफर क्षेत्रों का सटीक चित्रण किया जा सकता है। यह पर्यावरणी गड़बड़ी को कम करने और संसाधन उपयोग को अनुकूलित करने में सहायता करता है। सटीक भू-निर्देशांक विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन को प्रदर्शित करते हैं और अधिकारियों को पर्यावरण नियों को प्रभावी रूप से निगरानी और लागू करने में मदद करते हैं। भू-निर्देशांक स्थानीय समुदायों और पर्यावरण संगठनों सहित हितधारकों को प्रस्तावित खनन गतिविधियों के सटीक स्थान और सीमा को देखने में सक्षम बनाते हैं। यह पारदर्शिता को बढ़ावा देता है और पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया के दौरान सार्थक सार्वजनिक परामर्श की सुविधा प्रदान करता है। खनन गतिविधियों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए प्रभावी शमन उपायों और निगरानी योजनाओं को डिजाइन करने के लिए भू-निर्देशांक आवश्यक है। संवेदनशील क्षेत्रों और संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की सटीक पहचान करके, सक्रिय उपायों को लागू करके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सकता है।

28. कुल मिलाकर, भू-निर्देशांक खनन परियोजनाओं के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वे सटीक स्थानिक जानकारी प्रदान करते हैं जो पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करने, संचालन की योजना बनाने,

विनियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और टिकाऊ खनन प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में, खनन के उद्देश्य के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र की उपयुक्तता निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **बिहार राज्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 3661-3662/2020) में 10 नवंबर, 2021** को अवलोकन पर ध्यान देते हुए निर्णय लिया और **दीपक कुमार आदि बनाम हरियाण राज्य एवं अन्य (2012) 4 एससीसी 629** के मामले में विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 19628-19629/2009 के पैराग्राफ 10 के निर्णय में यह माना है कि किसी भी नीलामी प्रक्रिया से पहले वैध डीएसआर का होना अनिवार्य है।

30. भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बिहार राज्य एवं अन्य बनाम पवन कुमार एवं अन्य आदि (सिविल अपील संख्या 3661-3662/2020) में 10 नवंबर, 2021** को तय की गई टिप्पणी में डीएसआर की अनिवार्यता और पूर्वापेक्षा पर विचार किया गया और निम्नानुसार निर्णय दिया गया:

“8. इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि यद्यपि विकास की गतिविधियों को रोकना न जाए, पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले सतत विकास के संतुलित दृष्टिकोण का सहारा लिया जाना चाहिए। साथ ही, इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जब वैध खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इससे अवैध खनन की भरमार हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप रेत माफियाओं के बीचय झड़पें होती हैं, अपराधीकरण होता है और कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। इस बात पर भी विवाद नहीं किया जा सकता कि सार्वजनिक अवसंरचना परियोजनाओं के निर्माण के साथ-साथ सार्वजनिक और निजी निर्माण गतिविधियों के लिए रेत की आवश्यकता होती है। वैध

खनन पर पूर्ण प्रतिबंध से अवैध खनन को बढ़ावा मिलने के अलावा सरकारी खजाने को भी भारी नुकसान होता है।

9. मामले के इन पहलुओं पर विचार करते हुए, हम कुछ अंतरिम निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं।

10. ट्रिब्यूनल ने सतेंद्र पांडे [सतेंद्र पांडे बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2018 एससीसी ऑनलाइन एनजीटी 2388], में पाया है कि 15-1-2016 की अधिसूचना, जो जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण [जिसे बाद में डीईआईएफ] कहा जाएगा द्वारा दी जाने वाली पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करती है, दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य [दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य, 2012 4 एससीसी 629], में इस न्यायालय के फैसले के अनुरूप नहीं थी। इसलिए न्यायाधिकरण ने सतेंद्र पांडे [सतेंद्र पांडे बनाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, 2018 एससीसी ऑनलाइन एनजीटी 2388], में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (जिसे आगे “एमओईएफ और सीसी” कहा जाएगा) को 15-1-2016 की अधिसूचना में निर्धारित प्रक्रिया को संशोधित करने के लिए कमद उठाने का निर्देश दिया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एमओईएफ और सीसी ने न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार, जनवरी 2020 के महीने में रेत खनन के लिए प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश (जिसे आगे “2020 दिशानिर्देश” कहा जाएगा) जारी किए थे। (जोर दिया गया)

11. 2020 के दिशा निर्देशों का अध्याय 4 संभावित रेत खनन स्रोतों की पहचान और डीएसआर तैयार करने से संबंधित है। 2020 के दिशा-निर्देशों के खंड 4.1.1 (ए), (ओ) और (पी) का संदर्भ लेना प्रासंगिक होगा:

“4.1 संभावित रेत खनन स्रोतों की पहचान और जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर) तैयार करना

4.1.1 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करना।

(ए) रेत खनन के लिए जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, संबंधित राज्यों में खनन विभाग या खनन गतिविधि से निपटने वाले विभाग द्वारा नीलामी/ई-नीलामी/खनन पट्टे/आशय पत्र ("एल.ओ.आई") के अनुदान से पहले तैयार की जाएगी।

(ओ) खनन के लिए संभावित स्थल जिसका वन, संरक्षित क्षेत्र, आवास, पुल आदि पर प्रभाव पड़ता हो, से बचना चाहिए। इसके लिए उप-विभागीय समिति गठित की जा सकती है जो साइट के दौरों के बाद खनन के लिए इसकी उपयुक्तता तय करेगी। समिति की सिफारिश के बाद खनन पट्टे की सूची को अनुबंध II में दिए गए निम्नलिखित प्रारूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। साइट विजिट के बाद उप-विभागीय समिति खनन की उपयुक्तता के लिए साइट पर एक सिफारिश करेगी और पट्टा भूमि में खनन पट्टे का चयन करने का कारण भी दर्ज करेगी। क्लस्टर तथा समीपवर्ती क्लस्टर के बारे में विवरण अनुबंध III में दिए गए अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए। परिवहन का विवरण अनुबंध IV में दिए गए अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

(पी) सार्वजनिक परामर्श- नीलाम किए जाने वाले खनन पट्टों की सूची पर विभिन्न हितधारकों की टिप्पणियां मांगी जा सकती हैं। राज्य सरकार डीएसआर में शामिल खनन पट्टों की सूची पर आम जनता की टिप्पणियां मांगने के लिए स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन देगी। आम जनता की टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए डीएसआर को विज्ञापन के प्रकाशन की तारीख से कम से कम एक महीने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। प्राप्त टिप्पणियों को सक्रिय विचार के लिए उप-मंडल समिति के समक्ष रखा जाएगा। जन सुनवाई के बाद रेत खनन क्षेत्रों [नदी के तल और पट्टा भूमि/खातेदारी भूमि पर दिए जाने वाले पट्टे, गाद निकालने का स्थान (तालाब/झील/बांध), एम-सैंड संयंत्र (रेत का वैकल्पिक स्रोत)] पर दिए जाने वाले पट्टे/को अंतिम डीएसआर में अनुलग्नक में अनुलग्नक V के

अनुसार प्रारूप में परिभाषित किया जाना चाहिए। क्लस्टर और आसन्न क्लस्टर के बारे में विवरण अनुलग्नक VI में प्रदान किया जाना चाहिए। परिवहन का विवरण अनुलग्नक VII में प्रदान किया जाना चाहिए।

12. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 2020 के दिशा-निर्देशों के अनुसार, खनन विभाग या संबंधित राज्यों में खनन गतिविधि से निपटने वाले विभाग द्वारा नीलामी/ई-नीलामी/खनन पट्टे के अनुदान से पहले डीएसआर तैयार किया जाना आवश्यक है। यह आगे प्रावधान किया गया है कि खनन के लिए संभावित स्थल जिसका वन, संरक्षित क्षेत्र, आवास और पुलों पर प्रभाव पड़ता है, से बचना चाहिए। इसके लिए एक उप-विभागीय समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जो साइट के दौरों के बाद खनन के लिए साइटों की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेगी। उप-विभागीय समिति को पट्टा भूमि में खनन पट्टे का चयन करने के अपने कारणों को रिकॉर्ड करने की भी आवश्यकता है। उक्त नीति के साथ संलग्न अनुलग्नकों में विभिन्न विवरण दिए जाने आवश्यक हैं।

13. यह भी ध्यान देने योग्य है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 15-1-2016 की अधिसूचना के परिशिष्ट X में उप-मंडल समिति की संरचना का भी प्रावधान है:

“उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, सिंचाई विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या वन विभाग, भूविज्ञान या खनन अधिकारी की समिति वाली एक उप-विभागीय समिति प्रत्येक साइट का दौरा करेगी जिसके लिए पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन किया गया है और खनन या खनन के लिए साइट की उपयुक्तता पर या उस पर प्रतिबंध की सिफारिश करेगी। ”

14. यह ध्यान देने योग्य बात है कि आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन के साथ ड्रोन और उपग्रह इमेजिंग आदि जैसे विभिन्न तकनीकी उपकरणों का उपयोग संभावित स्थलों की पहचान और डीएसआर की तैयारी के लिए किया जा सकता है और दुरुपयोग और अनधिकृत खनन की जांच भी की जा सकती है।

15. हम यह भी पाते हैं कि जब 2020 के दिशा-निर्देशों के साथ-साथ पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी 2016 की अधिसूचना में खनन के लिए संभावित स्थलों की पहचान के लिए विभिन्न विभागों के राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करते हुए उप-मंडल समितियों के गठन का प्रावधान है, तो ट्रिब्यूनल द्वारा संबंधित आदेश में निर्देशित निजी सलाहकारों के माध्यम से डीएसआर तैयार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी [पवन कुमार बनाम बिहार राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एनजीटी 2848], उप-मंडल समिति में राज्य सरकार के राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग और भूविज्ञान और खनन विभाग के विभिन्न अधिकारी शामिल हैं। वे साइटों का दौरा करने और संबंधित जिले के लिए डीएसआर का मसौदा तैयार करने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित हैं। इसके अलावा, निजी सलाहकारों के माध्यम से डीएसआर तैयार करने से भी सरकारी खजाने पर अनावश्यक बोझ पड़ेगा। हमारा यह भी मानना है कि जब तक डी.एस.आर को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता और एसईएसी तथा एसईआईएए द्वारा मंजूरी नहीं दे दी जाती, तब तक यह उचित है कि कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं ताकि राज्य वैध खनन गतिविधियां जारी रख सके। इससे अवैध खनन गतिविधियों को रोकने के अलावा यह भी सुनिश्चित होगा कि सरकारी खजाने को वैध खनन में अपने हिस्से से वंचित न किया जाए।

16. इसलिए हम न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14-10-2020 के निर्णय और आदेश [पवन कुमार बनाम बिहार राज्य, 2020 एससीसी ऑनलाइन एनजीटी 2848] द्वारा जारी निर्देशों को निम्नलिखित निर्देशों के साथ प्रतिस्थापित करना उचित समझते हैं:

16.1. बिहार राज्य के सभी जिलों में खनन के उद्देश्य से डीएसआर तैयार करने का काम नए सिरे से किया जाएगा। डीएसआर का मसौदा अनुमंडल समितियों द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसमें अनुमंडल दंडाधिकारी, सिंचाई विभाग के अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति, वन विभाग,

भूगर्भीय या खनन अधिकारी शामिल होंगे। इसे साइट विजिट करके और आधुनिक तकनीक का उपयोग करके तैयार किया जाएगा। उक्त मसौदा डीएसआर इस आदेश की तिथि से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर तैयार किया जाएगा। मसौदा डीएसआर तैयार होने के बाद संबंधित जिले के जिला दंडाधिकारी इसे एसईएसी द्वारा जांच और मूल्यांकन के लिए भेजेंगे। एसईएसी द्वारा 6 सप्ताह की अवधि के भीतर इसकी जांच की जाएगी और इसकी रिपोर्ट पूर्वोक्त अवधि के भीतर एसईएलएए को भेज दी जाएगी। इसके पश्चात सरकार ऐसे प्रत्येक डीएसआरएस को अनुमोदन प्रदान करने पर इसकी प्राप्ति से 6 सप्ताह की अवधि के भीतर विचार करेगी।

16.2 यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि डीएसआर तैयार करते समय तथा एसईएसी और एसईआईएए द्वारा उसका मूल्यांकन करते समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जनवरी 2020 की नीति से निर्धारित प्रक्रिया और मापदंडों का कड़ाई से पालन किया जाए। (जोर दिया गया)

16.3. अगले आदेश तक हम राज्य सरकार को बिहार राज्य खनन निगम के माध्यम से खनन गतिविधियाँ जारी रखने की अनुमति देते हैं, जिसके लिए वह ठेकेदारों की सेवाएँ ले सकती है। हालाँकि, ऐसा करते समय, राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सभी पर्यावरणीय चिंताओं का ध्यान रखा जाए और पर्यावरण को कोई नुकसान न हो।”

31. दिशा-निर्देशों के अनुसार, खनन विभाग या खनन गतिविधि से संबंधित विभाग द्वारा खनन पट्टे की नीलामी/ई-नीलामी/अनुदान से पहले डीएसआर तैयार किया जाना आवश्यक है। इसमें प्रावधान है कि खनन के लिए संभावित साइट का वन, संरक्षित क्षेत्र, आवास और पुलों पर प्रभाव पड़ने से बचना चाहिए। इसके लिए एक उप-मंडल समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जो साइट के दौरे के बाद खनन के लिए साइट की उपयुक्तता के बारे में निर्णय लेगी। उप-मंडल मजिस्ट्रेट, सिंचाई विभाग,

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या समिति, वन विभाग, भूविज्ञान या खनन अधिकारी से मिलकर बनी एक उप-मंडल समिति प्रत्येक साइट का दौरा करेगी जिसके लिए पर्यावरण मंजूरी के लिए आवेदन किया जाना है और साइट की खनन के लिए उपयुक्तता या उस पर प्रतिबंध लगाने के बारे में सिफारिश करेगी।

32. याचिकाकर्ता ने आवश्यक मंजूरी प्रस्तुत करने के बाद पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आवेदन किया था,, लेकिन आज तक डीएसआर में भू-समन्वय विवरण की कमी के कारण विभाग द्वारा मामले को लंबित रखा गया है। भू-समन्वय का विवरण रिट याचिका के अनुलग्नक-25 के माध्यम से रिकॉर्ड में लाया गया है।

148

16	Stone	Naraj Engineers Pvt. Ltd. Block no.- 25	Prop. Sri Amar Kumar Saha 146- Palliputra Colony, Patna-800013	LN-88 DN-88	500m	Non-Captive	A-25° 540.02°N B-25° 534.31°E B-25° 537.15°N C-25° 540.41°N B-25° 539.74°E D-25° 547.13°N B-25° 537.91°E
17	Stone	M/S Balaji Interprises Block no.- 27	Prop. Sri Jivan Kumar, Head office Babu Bazar, Aurangabad	LN-88 DN-88	500m	Non-Captive	
18	Stone	Sri Ravishankar Kumar Block no.- 28	S/O- Sri Upendra Jyotsna Singh At: Sri Krishnapuri, Dist- Deoghar (Jharkhand)	LN-48 DN-48	500m	Non-Captive	A-25° 537.10°N B-25° 532.17°N B-25° 535.30°E C-25° 536.09°N B-25° 531.71°E A-25° 536.16°E A-25° 537.15°N B-25° 539.63°E B-25° 541.09°N B-25° 541.50°E C-25° 535.03°N B-25° 532.13°E D-25° 530.70°N B-25° 531.67°E
19	Stone	M/S Raj Kumar Singh, Kailash Construction Pvt. Ltd. Block no.- 29	Prop. Sri Raj Kumar Singh A/16, Bank of India Colony, Indrapur, Raja Bazar, Patna-800014	LN-46 DN-46	500m	Non-Captive	
20	Stone	D.R.M. Parab Madhya Railway	R/O Banshuh Mandal Abhiyanta (D) Danapur D.R.M. office Parab Madhya Railway, P.O. P.S. Danapur			Captive	25° 533.61°N 85° 541.47°E

Source: District Mining Office, Sheikhpura (Department of Mines & Geology, Govt. of Bihar)

DISTRICT SURVEY REPORT I STONE MINING I SHEIKHPURA I BIHAR

Page 37

33. इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि याचिकाकर्ता की ओर से देरी और लापरवाही के बावजूद, प्रतिवादियों ने भी डीएसआर में संबंधित स्टोन ब्लॉक के भौगोलिक निर्देशांक जारी न करके गलती की, जिससे पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी हुई।

34. अब यह निर्णय लिया जाना है कि जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा द्वारा पारित दिनांक 23.01.2023 का आदेश और खान आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 14.07.2023 के आदेश को बरकरार रखा गया है। मुझे यह दोहराना होगा कि यह कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि जब लेन-देन आगे बढ़ता है तो बयाना राशि खरीद मूल्य का हिस्सा होती है, जब लेन-देन विफल हो जाता है, तो इसे जब्त कर लिया जाता है, "खरीदार की सभी विफलताओं के कारण।"

35. बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन की रोकथाम, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 में सफल बोलीदाता की ओर से विफलता की स्थिति में सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का प्रावधान है। उपर्युक्त नियम का प्रासंगिक भाग नीचे प्रस्तुत है:

"22. (ग) नीलामी राशि के [दस प्रतिशत] के बराबर राशि सुरक्षा के रूप में, जिसे नीलामी राशि की अंतिम किस्त के साथ समायोजित किया जाएगा, यदि खनन पट्टाधारक भुगतान में अन्यथा चूककर्ता नहीं है। असफल बोलीदाता के मामले में सुरक्षा जमा कलेक्टर द्वारा वापस कर दी जाएगी।

(6) सफल बोलीदाता की ओर से विफलता- यदि सफल बोलीदाता राज्य सरकार की इस संबंध में प्रचलित अधिसूचना में निर्देशित निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सुरक्षा जमा राशि के साथ-साथ अन्य देय करों को जमा करने में विफल रहता है, तो उसकी सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली जाएगी और सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से एक नई निपटान प्रक्रिया शुरू की जाएगी। "

36. बिहार खान खनिज (रियायती अवैध खनन एवं भंडारण) नियमावली, 2019 के नियम 28 में प्रावधान है कि बंदोबस्ती, नीलामी के अनुमोदन की तिथि से 180 दिनों के अंदर पट्टा विलेख निष्पादित किया जा सकेगा।

37. वर्तमान मामले में, क्या पर्यावरणीय मंजूरी प्रस्तुत नहीं करने के कारण “सिद्धांत रूप में मंजूरी आदेश” रद्द किया जा सकता है और सुरक्षा जमा जब्त किया जा सकता है, जो याचिकाकर्ता के पक्ष में पहले से ही जारी किया गया है, जब याचिकाकर्ता ने निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर ली है और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, क्या प्रतिवादियों द्वारा की गई कार्रवाई की न्यायिक समीक्षा की अनुमति है।

38. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि संविदात्मक दायित्व को लागू करने के लिए रिट उपाय नहीं है। इसी तरह, वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व रिट जारी करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन आम तौर पर यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इन्कार करने का एक अच्छा आधार होगा। इस मामले में, इस न्यायालय द्वारा असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग इस आधार पर किया जा रहा है कि खान आयुक्त, बिहार और जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा द्वारा पारित आदेश मनमाना है क्योंकि उन्होंने डीएसआर में भू-निर्देशांक के गैर-प्रावधान के मुद्दे से निपटा नहीं है, और एसईआईएए द्वारा पूछताछ के मुद्दे पर चुप है, हालांकि इसे विद्वान आयुक्त के आदेश में संदर्भित किया गया है, जो अनुलग्नक-पी24 पर रिट आवेदन का हिस्सा है, जिसमें खान आयुक्त, बिहार ने दर्ज किया है कि एसईआईएए ने पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और भू-निर्देशांक के संबंध में आपत्तियां उठाई हैं।

39. दक्षिण पूर्वी मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोलफील्ड्स लिमिटेड बनाम एस. कुमार एसोसिएट्स एकेएम (जेवी), (2021) 9 एससीसी 166 के मामले में निम्नलिखित टिप्पणी की है:-

“22. हम यह बताना चाहेंगे कि क्या पार्टियों के बीच कोई अनुबंध संपन्न हुआ है या नहीं, यह एनआईटी, एलओएल और पार्टियों के आचरण की शर्तों पर निर्भर करता है। हमारे सामने न्यायिक दृष्टिकोण इस प्रस्ताव पर कोई संदेह नहीं छोड़ते हैं कि एलओएल केवल भविष्य में दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने के लिए एक पक्ष के इरादे को इंगित करता है [ड्रेसर रैंड एस.ए. बनाम बिंदल एगो केम लिमिटेड, (2006) 1 एससीसी 751; राजस्थान को-ऑप. डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम महा लक्ष्मी मिंग्रेट मार्केटिंग सर्विस (पी) लिमिटेड, (1996) 10 एससीसी 405], इस चरण में पार्टियों के बीच कोई बाध्यकारी संबंध नहीं उभरता है और प्रत्येक मामले में परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा इरादा इसकी शर्तों से स्पष्ट है तो आशय पत्र को बाध्यकारी अनुबंध के रूप में समझना निस्संदेह संभव है। लेकिन फिर ऐसा करने का इरादा स्पष्ट और असंदिग्ध होना चाहिए क्योंकि यह सामान्य रूप आशय पत्र को समझने के तरीके से विचलन लेता है। इस न्यायालय ने ड्रेसर रैंड एस.ए. मामले पर विचार करें [ड्रेसर रैंड एस.ए. बनाम बिंदल एगो केम लिमिटेड, (2006) 1 एससीसी 751], कि ऐसे मामले हैं जहां तत्काल आधार पर काम शुरू करने की चिंता के कारण बाद में एक विस्तृत अनुबंध तैयार किया जाता है। उस मामले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आपूर्तिकर्ता द्वारा पत्र प्राप्त होने पर अनुबंध लागू होगा, और फिर भी एक समग्र विलेखन पर - यह माना गया कि एलओएल की

व्याख्या कार्य आदेश के रूप में नहीं की जा सकती है।

23. इसी तरह अगर हम जवाहर लाल बर्मन मामले में इस न्यायालय के फैसले में चर्चित दस्तावेजों की व्याख्या करें [जवाहर लाल बर्मन बनाम भारत संघ, (1962) 3 एससीआर 769: एआईआर 1962 एससी 378], तो इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि "इस स्वीकृति से अनुबंध संपन्न हो गया है और ट्रेजरी रसीद प्राप्त होने के तुरंत बाद निविदा की औपचारिक स्वीकृति होगी। " इस प्रकार, एक बार फिर, यह निर्धारित किया गया है कि किस समय अनुबंध संपन्न हो जाएगा, भले ही यह बाद में सुरक्षा राशि जमा करने के अधीन था। यह इन परिस्थितियों में था कि सुरक्षा जमा की आवश्यकता को एक पूर्ववर्ती शर्त के रूप में नहीं बल्कि एक बाद की शर्त के रूप में माना गया था। हमें अनुबंध की प्रकृति को भी समझना होगा जो 21 दिनों के भीतर आपूर्ति किए जाने वाले नारियल तेल की पूरी मात्रा की तत्काल आवश्यकता के लिए था। एलओआई में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि निर्धारित राशि जमा करने में कोई भी विफलता अनुबंध के उल्लंघन के रूप में मानी जाएगी। यहाँ ऐसा नहीं है, जहाँ परिणाम केवल बोली सुरक्षा राशि के जब्ती का था, और "अनुबंध" को न रद्द करके "पुरस्कार" को रद्द करना था।

24. यदि हम वर्तमान मामले में उपरोक्त परिदृश्य की तुलना करें, तो अनुबंध के निष्पादन की अवधि एक वर्ष थी। प्रतिवादी ने साइट पर महीने भर से थोड़ा अधिक समय तक काम किया, कुछ कठिनाइयों का सामना किया, यह मायने नहीं रखता कि यह प्रतिवादी की अपनी गलती थी या अपीलकर्ताओं के कारण। किए गये काम के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया। प्रतिवादी एलओआई के तहत अपने दायित्वों का पालन करने में

विफल रहा। यह केवल प्रदर्शन सुरक्षा जमा न देने का मामला नहीं है, बल्कि ईमानदारी समझौते पर कभी हस्ताक्षर नहीं किए गए थे, न ही अनुबंध को निष्पादित करने में विफलता के कारण कार्य आदेश जारी किया गया था। इस प्रकार, हमारा विचार है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील द्वारा उद्धृत कोई भी निर्णय वर्तमान मामले की संविदात्मक स्थिति में उनकी सहायता नहीं करेगा। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा संदर्भित निर्णय, जवाहर लाल बर्मन केस [जवाहर लाल बर्मन बनाम भारत संघ, (1962) 3 एससीआर 769: एआईआर 1962 एससी 378] और ड्रेसर रैंड एस.ए. केस [ड्रेसर रैंड एस.ए. बनाम बिंदल एगो केम लिमिटेड, (2006) 1 एससीसी 751], यदि कोई ऐसा कह सकता है तो सीधे तौर पर किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन यह कहना पर्याप्त है कि इस मुद्दे को निर्धारित करने के लिए एनआईटी और एलओआई के प्रासंगिक खंडों को देखा जाना चाहिए।

25. प्रतिवादी द्वारा आशय पत्र की शर्तों का पालन न करने पर चर्चा करने के बाद हम एनआईटी खंड 29.2 की ओर मुड़ते हैं, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पुरस्कार की अधिसूचना अनुबंध के निर्माण का गठन करेगी जो केवल प्रदर्शन सुरक्षा/सुरक्षा जमा प्रस्तुत करने के अधीन होगी। इस प्रकार, इसे स्पष्ट रूप से एक पूर्व शर्त के रूप में रखा गया था और वह भी पुरस्कार की अधिसूचना के बाद 28 दिनों के भीतर किया जाना था। सफल बोलीदाता द्वारा आवश्यकता का अनुपालन न करना "पुरस्कार कार्य को रद्द करने और खंड 30.2 के अनुसार बोली सुरक्षा को जब्त करने के लिए पर्याप्त आधार होगा। यदि हम ईमानदारी संधि से निपटने वाले खंड 34 का विश्लेषण करते हैं तो इसे प्रस्तुत करने में विफलता निविदा बोली को "पर्याप्त रूप से

उत्तरदायी नहीं बनाएगी और इसे अस्वीकार किया जा सकता है।”

40. **श्रीजी सेल्स कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1997) 3 एससीसी 398** में रिपोर्ट की गई, यह देखा गया कि एक बार सार्वजनिक हित को श्रेष्ठ इक्विटी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है जो व्यक्तिगत इक्विटी को ओवरराइड कर सकता है, तो सिद्धांत लागू होगा यहां तक कि उन मामलों में भी जहां वादे के क्रियान्वयन के लिए एक अवधि इंगित की गई है। यदि कोई सार्वजनिक इक्विटी है, तो सरकार को अपना रुख बदलने की अनुमति होगी और उसके पास अपने द्वारा किए गए प्रतिनिधित्व से पीछे हटने का अधिकार होगा जिसने व्यक्तियों को कुछ कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जो ऐसी वापसी के कारण ऐसे व्यक्तियों के हित के प्रतिकूल हो सकते हैं। इसके अलावा, सरकार वादे से मुकरने के लिए सक्षम है, भले ही इसमें कोई स्पष्ट सार्वजनिक हित शामिल न हो, बशर्ते किसी को भी ऐसी प्रतिकूल स्थिति में न डाला जाए जिसे सुधारा न जा सके। **पवन अलॉयज एंड कास्टिंग (पी) लिमिटेड बनाम यू.पी.एस.ई.बी. [(1997) 7 एस.सी.सी. 251] और एस.टी.ओ. बनाम श्री दुर्गा ऑयल मिल्स [(1998) 1 एस.सी.सी. 572]**, में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया था और आगे यह माना गया था कि सरकार अपनी आद्योगिक नीति को बदल सकती है यदि स्थिति इसकी मांग करती है और केवल इसलिए कि प्रस्ताव एक विशेष अवधि के लिए घोषित किया गया था इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार किसी भी परिस्थिति में नीति में संशोधन और परिवर्तन नहीं कर सकती है। यदि सिद्धांत के अनुप्रयोग का दावा करने वाला पक्ष किसी अधिसूचना के आधार पर कार्य करता है, तो उसे यह ज्ञात होना चाहिए था कि ऐसी अधिसूचना को किसी भी समय संशोधित या निरस्त किया जा सकता है, यदि सरकार को लगता है कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है।

41. अब यह बात पूरी तरह से स्थापित हो चुकी है कि आशय पत्र केवल एक पक्ष द्वारा भविष्य में दूसरे पक्ष के साथ अनुबंध करने के पक्ष के इरादे को दर्शाता है। आशय पत्र का उद्देश्य किसी भी पक्ष को अंततः किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए बाध्य करना नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने आशय पत्र की प्रकृति पर विचार करते हुए **राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड बनाम महा लक्ष्मी मिंग्रेट मार्केटिंग सर्विस (पी) लिमिटेड में इस प्रकार टिप्पणी की: [(1996) 10 एससीसी 405]:**

" आशय पत्र में केवल अनुबंध में प्रवेश करने का इरादा व्यक्त किया गया था। इस स्तर पर अपीलकर्ता और प्रतिवादी 1 के बीच कोई बाध्यकारी कानूनी संबंध नहीं है और अपीलकर्ता को यह निर्णय लेने के लिए परिस्थितियों की समग्रता को देखने का अधिकार था कि प्रतिवादी 1 के साथ बाध्यकारी अनुबंध में प्रवेश करना है कि नहीं।"

42. पट्टा एक अनुबंध है। लेकिन पट्टा में, पट्टादाता, दूसरे पक्ष, पट्टादाता को, आमतौर पर एक मासिक राशि के बदले में, कुछ समय के लिए संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है, और मूल मालिक अंततः संपत्ति का स्वामित्व बरकरार रखता है।

43. उपर्युक्त दृष्टिकोण से, इस बात पर भी विचार किया जाना चाहिए कि क्या याचिकाकर्ता को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में किसी भी देरी के लिए उचित रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है और क्या उसने एल.ओ.आई की शर्तों का उल्लंघन किया है।

44. वह कानूनी अधिकार जिसे लागू किया जा सकता है, सामान्यतः वह अधिकार होना चाहिए, जो ऐसे अधिकार के उल्लंघन की शिकायत करता है और उसी

के संबंध में राहत के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। "कानूनी अधिकार" का अर्थ है कानूनी नियमों से उत्पन्न होने वाला अधिकार। इस प्रकार, इसे कानून के नियम द्वारा किसी व्यक्ति को दिए गए लाभ या लाभ के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अभिव्यक्ति, "पीड़ित व्यक्ति" में ऐसा व्यक्ति शामिल नहीं है जो मनोवैज्ञानिक या काल्पनिक चोट से पीड़ित है; इसलिए, पीड़ित व्यक्ति अनिवार्य रूप से ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, जिसका अधिकार या हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित या खतरे में पड़ गया हो। *लक्ष्मीनारायण आर. भट्टाड़ बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 5 एससीसी 413* में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि "जिस तरह से एक वैधानिक प्राधिकरण ने किसी कानून के आवेदन को समझा था, वह किसी पक्ष को तब तक कोई कानूनी अधिकार प्रदान नहीं करेगा जब तक कि मामले से निपटने वाले न्यायालय के साथ उसका पक्ष न हो।"

45. यह भी विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि वैधानिक कर्तव्य के अलावा प्रत्येक अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह सिविल परिणाम वाले किसी भी आदेश को पारित करने से पहले प्रभावित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर दे। सर्वोच्च न्यायालय ने *चेयरमैन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम एम.जे. जेम्स के मामले में (2022) 2 एससीसी 201* पैराग्राफ संख्या 28 और 29 के निम्न प्रकार से निर्णय दिया है:-

"28. पारंपरिक अंग्रेजी कानून ने पक्षपात के विरुद्ध नियम को मान्यता दी और महत्व दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं होगा, और दूसरे या दोनों पक्षों को सुनने का दायित्व होगा क्योंकि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए यानी ऑडी अल्टरम पार्टम। इनके अलावा, कभी-कभी सहायक नियमों के रूप में वर्णित नए पहलू विकसित हुए हैं, जिसमें निर्णय के समर्थन

में कारण बताने का कर्तव्य भी शामिल हैं। फिर भी, बार-बार न्यायालयों ने इस बात पर जोर दिया है कि प्राकृतिक न्याय के नियम लचीले हैं और उनका अनुप्रयोग प्रत्येक मामले के तथ्यों के साथ-साथ वैधानिक प्रावधान, यदि लागू हो, प्रभावित अधिकार की प्रकृति और परिणामों पर निर्भर करता है। ए.के.क्राइपक बनाम भारत संघ ;[ए.के. क्राइपक बनाम भारत संघ, (1969) 2 एससीसी 262] में संविधान पीठ ने हमारे संविधान के तहत प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की भूमिका पर विचार करते हुए कहा कि चूंकि राज्य का प्रत्येक अंग कानून के शासन द्वारा नियंत्रित और विनियमित होता है, इसलिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से कार्य करने की आवश्यकता है, न कि मनमाने या मनमानी तरीके से। अर्ध-न्यायिक या प्रशासनिक शक्ति के प्रयोग में जिन प्रक्रियाओं को अंतर्निहित माना जाता है, वे वे हैं जो न्यायपूर्ण और निष्पक्ष निर्णय को सुनिश्चित न करते हुए भी सुगम बनाती हैं। किसी मामले में प्राकृतिक न्याय का कौन सा विशेष नियम लागू होना चाहिए, यह काफी हद तक उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, कानून के उस ढाँचे पर निर्भर करता है जिसके तहत जाँच की जाती है और उस उद्देश्य के लिए नियुक्त व्यक्तियों या न्यायाधिकरण के निकाय का गठन। जब शिकायत की जाती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, तो अदालत को यह तय करना होगा कि मामले के तथ्यों में न्यायपूर्ण निर्णय के लिए उस नियम का पालन आवश्यक था या नहीं। ”

29. राहत पाने के लिए पूर्वाग्रह दिखाने के महत्व पर कानूनी स्थिति भी बताई जानी चाहिए। *ख्स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के. शर्मा* [स्टेट बैंक ऑफ पटियाला बनाम एस.के. शर्मा, (1996) 3 एससीसी 364], में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने “पर्याप्त अवसर” और “बिल्कूल भी अवसर न” मिलने के बीच अंतर किया और माना कि पूर्वाग्रह अपवाद बाद वाले मामले में अधिक विशिष्ट रूप से संचालित होता है। यह निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करने वाले कानून के प्रक्रियात्मक और मूल प्रावधानों की भी बात करता है, जिसका

उल्लंघन होने पर, उसे राहत प्रदान करने के लिए वादी को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ता है। सिद्धांत को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया था: (एससीसी पृष्ठ 389, पैरा 32)

“32. अब पिछले पैराग्राफ में हमारे द्वारा दिए गए उदाहरण पर वापस आते हैं, क्या उप-खंड (iii) के उल्लंघन के आधार पर सजा और पूरी जाँच को रद्द करना न्याय के हित में होगा या यह इसका निषेध होगा? हमारे सम्माननीय मत में, यह उत्तरार्द्ध होगा न्याय का अर्थ दोनों पक्षों के बीच न्याय है। न्याय के हित समान रूप से मांग करते हैं कि दोषियों को शुद्ध किया जाना चाहिए और तकनीकी और अनियमितताएं जो न्याय की विफलता का कारण नहीं बनती हैं, उन्हें न्याय के उद्देश्यों को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। उन्हें बिल्कुल विपरीत उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विकृत नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रतिकूल अभ्यास होगा।

46. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में प्रश्न उठता है, क्या जमा की गई सुरक्षा राशि तब जब्त की जा सकती थी जब समझौता नहीं किया गया था और बाद में अनुबंध भी निष्पादित नहीं किया गया था। चूंकि सुरक्षा जमा अनुबंध के संतोषजनक समापन को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और उस प्रक्रिया में चूक होने पर उसे जब्त कर लिया जाएगा, दूसरे शब्दों में प्रदर्शन गारंटी। उपर्युक्त प्रश्न पर विचार करने से पहले, **सौरभ प्रकाश बनाम डीएलए यूनिवर्सल लिमिटेड (2007) 1 एससीसी 228** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ लेना उचित समझा जाता है; जिसमें संविदात्मक मामले और उसके परिणाम प्रवाह के संदर्भ में बयाना राशि और सुरक्षा जमा के बीच अंतर किया गया है और समझाया गया है। आसान संदर्भ के लिए उपरोक्त निर्णय के पैरा 42 और 43 को नीचे उद्धृत किया गया है:-

"42. प्रतिभूति और बयाना राशि के बीच अंतर को इस न्यायालय ने मौला बक्स बनाम भारत संघ [(1969) 2 एससीसी 554], में निम्नलिखित शब्दों में भी इंगित किया है:-

"4 समझौतों की शर्तों के तहत, अनुबंधों के उचित निष्पादन के लिए सुरक्षा के रूप में वादी द्वारा जमा की गई राशि जब्त हो जाती थी, यदि वादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने में लापरवाही करता है। उच्च न्यायालय ने देखा कि इस तरह से जमा की गई राशि को बयाना राशि माना जा सकता है। लेकिन यह दृष्टिकोण स्वीकार नहीं किया जा सकता है। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लॉ के पृष्ठ 689 में अर्ल जोविट के अनुसार, "बयाना राशि या बयाना देना बिक्री या इसी तरह के अनुबंध के लिए सहमति व्यक्त करने का एक तरीका है, विक्रेता को एक मामूली राशि (जैसे एक शिलिंग) देकर यह संकेत दिया जाता है कि पक्षकार गंभीर है या उन्होंने अपना मन बना लिया है। " जैसा कि कुंवर चिरंजीत सिंह बनाम हर स्वरूप, एआईआर 1926 पीसी 1 में न्यायिक समिति द्वारा देखा गया था:

"जब लेन-देन आगे बढ़ता है तो बयाना राशि खरीद मूल्य का हिस्सा होती है; जब लेन-देन विक्रेता की गलती या विफलता के कारण विफल हो जाता है तो इसे जब्त कर लिया जाता है। "

वर्तमान मामले में जमा राशि क्रेता द्वारा अनुबंध पूरा होने पर कीमत के आंशिक भुगतान के लिए उपयोग की जाने वाली राशि नहीं थी, बल्कि तब तक क्रेता की ओर से संपत्ति या सामान खरीदने के इरादे को प्रमाणित करने के लिए जमा की गई थी। यहाँ वादी ने अनुबंधों के उचित निष्पादन की गारंटी के लिए सुरक्षा के रूप में दावा की गई राशि जमा की थी। ऐसी जमा राशि को बयाना राशि नहीं माना जा सकता है। "

43. भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 74 का हवाला देते हुए यह देखा गया कि:

"इसमें कोई संदेह नहीं है कि अंग्रेजी मामलों में लिए गए दृष्टिकोण से प्रभावित होकर, अनुबंध अधिनियम की धारा 74 का अनुबंध के उचित निष्पादन के लिए जमा राशि के मामलों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है, जिसे

उल्लंघन के लिए जब्त किया जाना निर्धारित है, नटेसा अय्यर बनाम अप्पायु पदयाची; सिंगर मैनुफैक्चरिंग कंपनी बनाम राजा प्रसाद; मणियन पट्टर बनाम मद्रास रेलवे कंपनी। लेकिन फतेह चंद मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मददेनजर यह दृष्टिकोण अब अच्छा कानून नहीं है। इस न्यायालय ने पृष्ठ 526 पर टिप्पणी की: "भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 दो प्रकार के मामलों में नुकसान के माप से संबंधित है: (i) जहां अनुबंध में उल्लंघन के मामले में भुगतान की जाने वाली राशि का नाम है, और (ii) जहां अनुबंध में दंड के रूप में कोई अन्य शर्त शामिल है," 'दंड के रूप में किसी शर्त के उल्लंघन के मामले में नुकसान का माप धारा 74 के अनुसार उचित है। मुआवजा निर्धारित जुर्माने से अधिक नहीं होगा। "

न्यायालय ने भी अवलोकन किया:

"यह तर्क दिया गया कि यह धारा अनुबंध तोड़ने वाले पक्ष से उचित मुआवजा प्राप्त करने के अधिकार के संदर्भ में है, न कि पीड़ित पक्ष द्वारा पहले से प्राप्त की गई राशि को जब्त करने के अधिकार के संदर्भ में। हालांकि भारत के कुछ उच्च न्यायालयों द्वारा की गई इस धारणा के लिए कोई वारंट नहीं है कि धारा 74 केवल उन मामलों पर लागू होती है जहां पीड़ित पक्ष अनुबंध के उल्लंघन पर कुछ राशि प्राप्त करना चाहता है, न कि उन मामलों पर जहां अनुबंध के उल्लंघन पर अनुबंध के तहत प्राप्त राशि जब्त करने की मांग की जाती है। हमारे फैसले में अभिव्यक्ति "अनुबंध में दंड के रूप में कोई अन्य शर्त शामिल है"

व्यापक रूप से हर उस अनुबंध पर लागू होता है जिसमें जुर्माना शामिल होता है, चाहे वह भविष्य में धन या संपत्ति की डिलीवरी के अनुबंध के उल्लंघन पर भुगतान के लिए हो, या पहले से डिलीवर किए गए धन या अन्य संपत्ति के अधिकार का जब्त करने के लिए हो। दंड खंड को लागू न करने बल्कि केवल उचित मुआवजा देने का कर्तव्य धारा 74 द्वारा न्यायालयों पर वैधानिक रूप से लगाया गया है।

इसलिए, सभी मामलों में, जहां अनुबंध की शर्तों के अनुसार जमा की गई राशि को जब्त करने के लिए जुर्माना की प्रकृति में स्पष्ट रूप से जब्ती का प्रावधान है, न्यायालय को केवल उतनी राशि देने का अधिकार है, जितनी वह उचित समझे, लेकिन जब्ती के लिए उत्तरदायी अनुबंध में निर्दिष्ट राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए, और वह, "यह मानने का कोई आधार नहीं है कि 'अनुबंध में दंड के रूप में कोई अन्य शर्त शामिल है' अभिव्यक्ति केवल पैसे का भुगतान करने या उल्लंघन पर संपत्ति देने के लिए एक समझौते की प्रकृति में शर्तों के मामलों तक सीमित है और उन अनुबंधों को नहीं समझती है जिनके तहत भुगतान की गई राशि या अनुबंध के तहत दी गई संपत्ति, जो अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्पष्ट रूप से या स्पष्ट निहितार्थ द्वारा जब्त होने के लिए उत्तरदायी हैं।"

47. वर्तमान मामले में खनन पट्टे के लिए अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया था। बयाना राशि जमा कर दी गई थी और अनुबंध के उचित निष्पादन की गारंटी के लिए सुरक्षा राशि भी जमा कर दी गई थी। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 74 दो प्रकार के मामलों में नुकसान के माप से संबंधित है:

(i) जहां अनुबंध में उल्लंघन की स्थिति में भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख हो, और (ii) जहां अनुबंध में उचित मुआवजे के अलावा दंड के रूप में कोई अन्य शर्त हो, जो निर्धारित दंड से अधिक न हो, तो उसे वैधानिक रूप से लगाया जाता है।

48. सबसे पहले, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता ने केवल देरी के कारण सभी दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिसे केवल याचिकाकर्ता की ओर से विभिन्न विभागों और मंत्रालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करने में हुआ नहीं कहा जा सकता है, इस तथ्य पर विचार करते हुए हस्तक्षेप कहा जाता है कि भू-समन्वय के विवरण

देने वाली डीएसआर की अनुपस्थिति में पर्यावरणीय मंजूरी जमा न करने के कारण खनन पट्टा अस्तित्व में नहीं आया जिसके कारण ब्लॉक संख्या 27 को याचिकाकर्ता के पक्ष में बहुत देरी से आवंटित किया गया।

49. जहां तक लीज डीड के निष्पादन में देरी का सवाल है, पर्यावरण मंजूरी न मिलने के कारण इसे निष्पादित नहीं किया जा सका, जो निश्चित रूप से इसलिए जारी नहीं किया जा सका क्योंकि वर्ष 2016 के डी.एस.आर में खनन ब्लॉक नंबर 27 के संबंध में भू-निर्देशांक का विवरण शामिल नहीं था और इसे अकेले याचिकाकर्ता की गलती नहीं माना जा सकता है। विशेष पी.पी. माइंस द्वारा देशांतर और अक्षांश का विवरण चाहने के संबंध में दोषपूर्ण डी.एस.आर के कारण देरी के कारण का समर्थन करती है। मेरा विचार है कि दोनों पक्षों की ओर से चूक के कारण लीज डीड निष्पादित नहीं की जा सकी। मुझे लगता है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित दिनांक 23.01.2023 के आदेश और खान आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 14.07.2023 के आदेश में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप किए जाने की आवश्यकता है।

50. दूसरे, यह ज्ञात है कि वर्ष 2020 से लेकर आज तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 10.11.2021 के निर्णय के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) में ढील दिए जाने तक संपूर्ण विश्व को *अप्रत्याशित परिस्थितियों* के कारण कोविड-19 महामारी का सामना करना पड़ा।

51. उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों, कानून के स्थापित सिद्धांत और उपर किए गये विचार-विमर्श को ध्यान में रखते हुए, मेरा मत है कि खनन पट्टे के लिए अनुबंध अस्तित्व में नहीं आया था और 2,90,00,000/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि को जब्त नहीं किया जा सकता था, जब याचिकाकर्ता की ओर से कोई गलती नहीं होने के

कारण लेनदेन विफल हो गया, ऐसे में, जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा द्वारा पारित दिनांक 23.01.2023 का आदेश, जैसा कि मेमो संख्या 73 और दिनांक 14.07.2023 के आदेश में निहित है और खान आयुक्त, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना का परिणामी आदेश, जिला मजिस्ट्रेट, शेखपुरा के दिनांक 23.01.2023 के आदेश को बरकरार रखता है, जिसके द्वारा सैद्धांतिक अनुमोदन/समझौते को रद्द कर दिया गया है और 2,90,00,000/- रुपये की सुरक्षा जमा राशि जब्त कर ली गई है, इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

52. मैं सक्षम प्राधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश देता हूँ कि वे डीएसआर को अंतिम रूप दें और उसके बाद समय बढ़ाएं और कार्य आदेश जारी करें और इस आदेश के पारित होने की तारीख से छह सप्ताह की अवधि के भीतर पट्टे के अनुबंध का अंतिम निपटान करें।

53. इस तथ्य पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि पहले ही छह वर्ष से अधिक समय बीत चुका है और कोई तीसरे पक्ष का अधिकार नहीं बनाया गया है, इसलिए सक्षम प्राधिकारी-सह- जिला मजिस्ट्रेट और अतिरिक्त मुख्य सचिव, यह देखते हुए कि परियोजना के प्रस्तावक (पी.पी) द्वारा एसईआईएए के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और उक्त प्रस्ताव पर विस्तार से विचार करते हुए जैसा कि 9 जुलाई, 2020 के पत्र से प्रतीत होता है, 'संदर्भ की अवधि' (टी.ओ.आर) पर विचार करने के लिए, उपर्युक्त याचिकाकर्ता संतुष्ट है, सक्षम प्राधिकारी को बिना किसी और देरी के शीघ्रता से भू-समन्वय देते हुए संशोधित डीएसआर जारी करने का निर्णय लेना आवश्यक है। संबंधित प्राधिकारियों को पवन कुमार (उपरोक्त) में पैराग्राफ संख्या 16, 16.1, 16.2 और 16.3 में निहित निर्देशों का पालन करना चाहिए कि वे संशोधित डीएसआर रिपोर्ट एसईआईएए को शीघ्रता से प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यकतानुसार उचित कार्रवाई की जा

सके, ताकि छह सप्ताह की अवधि के भीतर सभी आवश्यक औपचारिकताओं का अनुपालन करने के बाद खनन गतिविधि शुरू करने के लिए पर्यावरण मंजूरी प्रमाणपत्र जारी किया जा सके।

54. एसईआईए को भी पर्यावरण मंजूरी प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लेने में देरी नहीं करनी चाहिए।

55. किसी भी स्थिति में, याचिकाकर्ता और संबंधित प्रतिवादियों द्वारा उपरोक्त कार्यवाही इस आदेश की सूचना की तारीख से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर पूरी की जानी अपेक्षित है।

56. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

57. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(पूर्णन्दु सिंह, न्यायमूर्ति)

निरज/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।